रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1101] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940
No. 1101] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/ PHALGUNA 17, 1940

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

का.आ. सं. 3027 (अ) दिनांक 21 जून, 2018 द्वारा अधिसूचित नीति के कार्यान्वयन हेतु असंगत क्षेत्रों में गोदाम-समूहों के पुनर्विकास के लिए प्रभारों का निर्धारण

का.आ. 1237(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 (1957 का 61) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से का.आ. सं. 3027(अ), दिनांक 21 जून, 2018 द्वारा यथा अधिसूचित असंगत क्षेत्रों में गोदाम समूहों (क्लस्टरों) के पुनर्विकास के लिए नीति के कार्यान्वयन हेतु निम्न प्रभारों और नियम एवं शर्तों को एतद्द्वारा अधिसूचित करता है।

1. स्टैण्डअलोन गोदामों और गोदाम समूहों के लिए एक बारगी उपयोग परिवर्तन प्रभार की वसूली दरें सर्कल रेट के अंतर्गत कॉलोनी की श्रेणी के आधार पर निम्नानुसार हैं:—

(प्रति वर्ग मीटर रुपयों में राशि)

उपयोग का प्रकार	श्रेणी ए एवं बी	श्रेणी सी एवं डी	श्रेणी ई, एफ, जी, एवं एच
स्टैण्डअलोन गोदामों और गोदाम समूहों के लिए एक बारगी उपयोग परिवर्तन प्रभार	3064/- रु.	2048/- रु.	768/- रु.

2. बाह्य विकास प्रभार (ई.डी.सी.) को 3500/- रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से वूसल किया जा सकता है।
3. एक बारगी उपयोग परिवर्तन प्रभारों और बाह्य विकास प्रभारों का भुगतान या तो एकमुश्त रूप में अथवा चार समान तिमाही किश्तों में किया जा सकता है। किश्तों के भुगतान में देरी पर देय तिथि से 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा।

4. एक बारगी उपयोग परिवर्तन प्रभारों और बाह्य विकास प्रभारों का भुगतान करने वाले सभी मामलों के संबंध में अधिसूचना की तिथि से तीन माह की ऋणस्थगन अवधि की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

5. यदि स्थानीय निकाय को यह पता चलता है कि सम्पत्ति का दिल्ली मुख्य योजना-2021 के प्रावधानों का उल्लंघन करके उपयोग किया जा रहा है अथवा पूर्व में ऐसे उल्लंघनों के कारण सम्पत्ति को बुक अथवा सील किया गया है, तो ऐसे मामलों में एक बारगी उपयोग परिवर्तन प्रभारों का 0.5 गुणा जुर्माना वसूल किया जा सकता है ।

ये दरें केंद सरकार के अनुमोदन से आगे संशोधित एवं अधिसूचित किए जाने तक लागू रहेंगी ।

[फा. सं. एफ 5 (1)2019/ए ओ (पी)/ डीडीए]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

Fixation of charges for redevelopment of godown clusters in non-conforming areas for implementation of policy notified *vide* S.O. No. 3027(E) dated 21st June, 2018.

S.O. 1237(E).—In exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority with the prior approval of the Central Government hereby notifies the following charges and terms & conditions for implementation of the policy for redevelopment of godown clusters in non-conforming areas as notified *vide* S.O. No. 3027(E) dated 21st June, 2018.

1. One time use conversion charges for standalone godowns and godown clusters may be recovered based on category of colony under Circle rates as under:-

(Amount in ₹ per sq.mtr)

Type of use	Cat. A&B	Cat.C&D	Cat.EFG&H
One time Use conversion charges for standalone godowns and godown clusters	₹ 3064/-	₹ 2048/-	₹ 768/-

2. The External Development Charges (EDC) may be recovered @ ₹ 3500/- per sq.mtr.
3. The payment of one time use conversion charges and External Development Charges (EDC) may be made either lump sum or in four equal quarterly installments. The delay in making the payment of installments shall carry simple interest @ 8% per annum from the due date.
4. A moratorium period of three months from the date of notification may be allowed in respect of all the cases to make the payment of one time use conversion charges and External Development Charges.
5. A penalty of 0.5 times of one time use conversion charges may be levied in cases where the local body finds that the property is being used in violation of the provisions of the MPD-2021 or it has been booked or sealed in the past for such violations.

These charges will remain in force till these are further modified and notified with the approval of Central Government.

[F. No. F 5(1)2019/AO(P)/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.08 21:10:00 +05'30'